न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला

राजस्व प्रकरण सं. 03/2020

उनवान

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, ब्यावर जिला अजमेर। .....प्रार्थी

बनाम

1. श्री गणपतलाल अग्रवाल पुत्र श्री सुरेशचंद जाति अग्रवाल निवासी साकेत नगर, ब्यावर
2. श्री कृष्णकांत सिंहल पुत्र श्री ज्ञानचन्द सिंहल जाति अग्रवाल निवासी साकेत नगर, ब्यावर जिला–अजमेर।
3. श्री सौरभ सिंहल पुत्र श्री ज्ञानचन्द सिंहल जाति अग्रवाल निवासी–साकेत नगर, ब्यावर जिला–अजमेर।
4. श्री केशव कुमार अग्रवाल पुत्र श्री गणपतलाल अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी–साकेत नगर, ब्यावर जिला–अजमेर।
5. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री कुंजीलाल जाति जैन निवासी–नेहरू नगर, ब्यावर ।
6. श्री हरीश प्रकाश माछर पुत्र श्री राधाकिशन जाति मोहश्वरी, निवासी नरसिंह गली, ब्यावर जिला–अजमेर।
7. श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री महेन्द्रसिंह जाति अहीर निवासी मोतीपुरा बाडिया, अजमेर रोड, ब्यावर जिला–अजमेर।
8. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति अहीर निवासी मोतीपुरा बाडिया, अजमेर रोड, ब्यावर जिला–अजमेर।
9. श्री रामचरण सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति अहीर निवासी मोतीपुरा बाडिया, अजमेर रोड, ब्यावर जिला–अजमेर।
10. श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नि श्री महेन्द्र सिंह जाति अहीर निवासी मोतीपुरा बाडिया, अजमेर रोड, ब्यावर जिला–अजमेर।
11. श्री शंकरलाल पुत्र श्री बेगराज जाति अहीर निवासी मोतीपुरा बाडिया, अजमेर रोड, ब्यावर जिला–अजमेर। फौत
    - 11/1 कपिल पुत्र शंकरलाल
    - 11/2 पंकज पुत्र शंकरलाल
    - 11/3 मंजु पुत्री शंकरलाल
12. श्रीमती बिरदी देवी पत्नि श्री बेगराज जाति अहीर निवासी मोतीपुरा बाडिया, अजमेर रोड, ब्यावर जिला–अजमेर। (नाम तर्क)
13. श्री राजीव कुमार जैन पुत्र श्री अनुपकुमार जैन जाति जैन निवासी मोतीपुरा बाडिया, अजमेर रोड, ब्यावर जिला–अजमेर।
14. श्री रतनप्रकाश पुत्र श्री राधाकिशन जाति माहेश्वरी माछर निवासी नरसिंह गली, ब्यावर जिला–अजमेर।
15. श्री भगवानदास पुत्र श्री तीरथदास जाति सिंधी, सदनानी निवासी पाली बाजार, ब्यावर जिला–अजमेर।
16. श्री प्रभुदास सदनानी पुत्र श्री तीरथदास जाति सिंधी, सदनानी निवासी पाली बाजार, ब्यावर जिला–अजमेर।
17. श्री नरेन्द्र कुमार माछर पुत्र श्री राधाकिशन जाति माहेश्वरी माछर निवासी नरसिंह

जिला कलक्टर
अजमेर

गली, ब्यावर जिला–अजमेर।

18. श्री चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री तीरथदास जाति सिंधी, सदनानी निवासी पाली बाजार, ब्यावर जिला–अजमेर।
19. श्री अनुप कुमार जैन पुत्र श्री कुंजीलल जैन जाति जैन निवासी नेहरू नगर, ब्यावर।
20. यज्ञसैन पुत्र रामप्रसाद (दत्तक पुत्र जसराज) फौत
    20/1 रामकृष्ण खेतावत पुत्र यज्ञसेन
21. मृत हरीशचन्द्र पुत्र रामप्रसाद के कायम मुकाम:–
    21/1.–नारायण पुत्र हरीशचन्द्र
    21/2.–रामस्वरूप पुत्र हरीशचन्द्र
    21/3.–गोपालशरण पुत्र हरीशचन्द्र
    21/4.–प्रियभवदा पुत्री हरीशचन्द्र
    21/5.–मौजकंवर बेवा हरीशचन्द्र (नाम तर्क)
    जाति गण–खेतावत, निवासीगण–पाली बाजार ब्यावर, तहसील–ब्यावर जिला–अजमेर।
22. मृत मनमोहनराम सांखला वल्द जीवराज सांखला के का0मु0
    22/1.–मल्लीकुमार पुत्र मन मोहनराम
    22/2.–अभय कुमार पुत्र मन मोहनराम
    22/3– चन्दा पुत्री मन मोहनराम
    22/4– सन्तोष कुमार बेवा मन मोहनराम
    जातिगण– सांखला जैन, निवासी– सांखला गली, शाहपुरा मौहल्ला, ब्यावर जिला–अजमेर
23. भँवरी देवी पुत्री जीवराज सांखला (नाम तर्क)
24. इन्दुदेवी पुत्री जीवराज सांखला
25. शांभारानी पुत्री जीवराज सांखला
26. मंजुरानी पुत्री जीवराज सांखला
27. निर्मला पुत्री जीवराज सांखला, सभी जाति–सांखला जैन निवासी सांखला गली, शाहपुरा मौहल्ला, ब्यावर।
28. आयुक्त,नगर परिषद, ब्यावर।
29. उप पंजीयक ब्यावर।

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री औमप्रकाश गुर्जर	राजकीय अभिभाषक
2. श्री राकेश अरोडा	अभिभाषक अप्रार्थीगण
3. श्री सुरेन्द्र सेठी	अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 28

रेफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

आदेश दिनांक 22.03.2021

प्रकरण में प्रार्थी तहसीलदार द्वारा निवेदन किया गया है कि ग्राम नया नगर की मिसल बन्दोबस्त संवत 1350 फसली अनुसार खेवट संख्या 329 रकबा 04.18.00 माफी मन्दिर श्री हनुमानजी अहतमाम मुसम्मात भूरी बेवा शिवनारायण, श्री शिवदयाल वल्द श्री रामलाल, बहिस्से बराबर एक हिस्सा व श्री दुर्गाप्रसाद वल्द रामप्रताप व मुसम्मात दाखी बेवा सूरजमल बहिस्से बराबर एक हिस्सा दर्ज है,

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

जसकी खतौनी अनुसार साबिक खसरा नं0 135 रकबा 03.06.00, खसरा नं0 164 रकबा 00.07.10 एवं खसरा नं0 166 रकबा 1.03.00 सभी किस्म बारानी द्वितीय श्री शेरा वल्द जीवा कौम माली साकिन देह ताबेमरजी माफीदार मुद्त एक साल दर्ज है। खेवट फसली संवत् 1360–61 के अनुसार खाता संख्या 329 साबिक खसरा नं0 135 रकबा 03.06.00, खसरा नं0 164 रकबा 00.07.10 एवं खसरा नं0 166 रकबा 1.03.00 सभी किस्म बारानी द्वितीय माफी मन्दिर श्री हनुमानजी अहतमाम रामस्वरूप वल्द शिवदयाल हिस्सा एक व श्री दुर्गाप्रसाद वल्द रामप्रताप व मुसम्मात दाखी बेवा सूरजमल बहिस्से बराबर एक हिस्सा दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2020–2023 के खाता संख्या 367 में साबिक खसरा नं0 खसरा नं0 164 रकबा 00.07.10 एवं खसरा नं0 166 रकबा 1.03.00 सभी किस्म बारानी द्वितीय एवं खाता संख्या 395 में खसरा नम्बर 135 रकबा 03.06.00 किस्म बारानी द्वितीय आई.एल.आर. टिप्पणी "मुताबिक आदेश श्रीमान् कलक्टर महोदय खाना संख्या 5 खाली रखा गया" दर्ज किया गया है। मिलान क्षैत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नं0 135 रकबा 03.06.00 के हाल खसरा नं 149 रकबा 03.04.00 व खसरा नं0 130 रकबा 0.02.00 दर्ज है, तथा खसरा नं0 164 रकबा 00.07.10 के हाल खसरा नं0 181 रकबा 00.07.10 तथा पुराने खसरा नं0 166 रकबा 01.3.00 के हाल खसरा नं0 183 रकबा 01.03.00 दर्ज है। जमाबन्दी संवत् 2042–45 के मुताबिक खाता संख्या 468 के हाल खसरा नं0 149, 181 एवं 183 के कॉलम संख्या 04 में "इन्द्राज खाली दर्ज है" एवं खसरा नं0 130 सिवाय चक खाता संख्या 01 में "मार्ग तथा पगडडिंया" दर्ज है। जमाबन्दी सवंत् 2044–47 के खाता संख्या 498 के हाल खसरा नं0 149, 181, 183 के कॉलम संख्या 04 में "इन्द्राज खाली " दर्ज होकर कैफियत के कॉलम में जरिये नामान्तरकरण संख्या 236 दिनांक 31.03.89 का अमल दरामद नोट अंकित करते हुए उक्त खाली इन्द्राज के स्थान पर खसरा नं0 181 व 183 पर अप्रार्थीगण यज्ञसैन व हरिशचन्द्र पिसरान रामप्रसाद कौम खेतावत साकिन देह दर्ज किया जो गलत है। क्योंकि प्रकरण संख्या 31/59 में पारित निर्णय दिनांक 16.12.1959 व जारी किया गया पट्टा एव इनिशियों वॉईड है। उक्त रामस्वरूप वल्द शिवदयाल व दुर्गाप्रसाद वल्द रामप्रताप व मुसम्मात दाखी बेवा सूरजमल ब्राहम्ण द्वारा की जा रही काश्त धारा–27 Ajmer abolation of Intermediataries And Land Reforms Act, 1955 के तहत उनका Personal Cultivation नहीं माना जा सकता, क्योंकि उक्त अधिनियम की धारा–2 (Viii) के तहत Minor की भूमि पर Minor का ही Personal cultivation माना जावेगा, भले ही Minor का उक्त भूमि पर Personal Supervision नहीं हों। चूंकि मूर्ति हनुमानजी शाश्वत अव्यस्क है। मूर्ति स्वयं भूमि पर काश्त नहीं कर सकती। अतः उसकी व्यवस्था पुजारी द्वारा की जाती है। पुजारी स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मुर्ति मन्दिर की भूमि पर की गई काश्त मंन्दिर मूर्ति के लिये धारा–46 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अधीन उप–काश्तकार की हैसियत से की गई काश्त मानी जावेगी। ऐसे उप–काश्तकार को किसी प्रकार का खातेदारी अधिकार हस्तान्तरित नहीं हो सकते है। इसलिए उक्त रामस्वरूप एवं अन्य के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 16.12.1959 एव इनिशियों वॉईड है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1959 के अनुसार हर एक मन्दिर पब्लिक ट्रस्ट है, जो Open for the Community at Large for Worship

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

। विधि अनुसार मूर्ति शाश्वत नाबालिग होती है। मन्दिर के पुजारी मूर्ति के संरक्षक ाते है। पुजारी मूर्ति के हितो के विरूद्ध कोई कार्य करता है तो वह न्यास भंग की परिभाषा में आता है। धारा 46 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान पब्लिक पॉलिसी पर आधारित है। धारा 27 Ajmer abolition of Intermediataries And Land Reforms Act, 1955 के तहत जारी पट्टा दिनांक 16.12.1959 अवैध, शून्य होकर एब इनिशियों वॉईड है। उक्त पट्टे के आधार पर बालकिशन पुत्र रामस्वरूप वगैरह द्वारा उक्त मंदिर मूर्ति भूमि को जीवराज सांखला को जरिये बेचाननामा दिनांक 30.6.1960 के बेचान कर दी गई। जीवराज सांखला द्वारा उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के समक्ष आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया जो अतिरिक्त जिला कलक्टर, अजमेर को स्थानान्तरित होने पर उनके निर्णय दिनांक 27.6.1964 के द्वारा खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 73/65 निर्णय दिनांक 5.11.1965 से स्वीकार की जाकर अतिरिक्त कलक्टर, अजमेर का प्रश्नगत आदेश 27.06.1964 निरस्त किया गया। इन आदेशो के विरूद्ध राजस्व मण्डल, अजमेर में प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर का निर्णय दिनांक 05.11.1965 निरस्त कर अतिरिक्त जिला कलक्टर, अजमेर के निर्णय दिनांक 27.6.1964 को रेस्टोर किया गया। अप्रार्थीगण यज्ञसेन एवं हरिशचन्द्र पिसरान रामप्रसाद खेतावत के पक्ष में जो नामान्तकरण संख्या 236 स्वीकृत किया गया वह विधि विरूद्ध रूप से स्वीकृत किया गया। क्योंकि यज्ञसेन एवं हरिशचन्द्र द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के समक्ष राजस्व वाद संख्या 17/64 पेश किया जो निर्णय दिनांक 17.4.1973 से स्वीकार कर वादीगण को खसरा नं0 164 एवं 166 का खातेदार घोषित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत अपील में पारित निर्णय दिनांक 15.9.1980 से उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के आक्षेपित आदेश की पुष्टि की गई। उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के उक्त आक्षेपित निर्णय दिनांक 17.4.1973 एवं श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के निर्णय दिनांक 25.9.1981 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत द्वितीय अपील 32/82 में पारित निर्णय दिनांक 21.4.1993 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के निर्णय दिनांक 17.4.1973 एवं श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 25.09.1981 को निरस्त करते हुए यज्ञसेन एवं हरिशचन्द्र का दावा भी निरस्त किया गया। इस निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रस्तुत नजरसानी संख्या 37/93 निर्णय दिनांक 09.10.1996 के द्वारा निरस्त की गई। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण यज्ञसेन एवं हरीशचन्द्र का दावा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 25.09.1981 के द्वारा निरस्त किया गया तो उक्त नामान्तरकरण संख्या 236 स्वतः ही निरस्त होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज इन्द्राजात भी स्वतः ही निरस्त हो गये। उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 64/87 अन्तर्गत धारा 136 राज0भू0 राजस्व अधिनियम में क्षेत्राधिकारिता से बाहर जाकर खातेदारी अधिकार दिये जाने बाबत पारित आदेश दिनांक 09.5.1988 की पालना में नामान्तकरण संख्या 245 दिनांक 27.4.1989 स्वीकृत कर उक्त खाली ईन्द्राज के स्थान पर खसरा नं0 149 पर "महेन्द्रसिंह, शंकरलाल पि बेगराज, बिरदी देवी बेवा बेगराज जाति अहीर साकिन निवासी मोतीपुरा बाडिया" दर्ज किया गया तथा खसरा नं0 130 सिवाय चक खाता संख्या

न्यायालय जिला कलक्टर

जिला कलक्टर
अजमेर

नगर पारषद,ब्यावर

। में "मार्ग तथा पगडंडीया" दर्ज है। उक्त महेन्द्र सिंह वगैरह के पूर्वज बेगराज का ाम प्रथम बार जमाबन्दी संवत 2020–23 के खाता संख्या 395 के खसरा नं0 135 रकबा 03–06–00 बीघा में दर्ज किया गया जो बिना अधिकारिता के तथा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के दर्ज किया गया। मंदिर मूर्ति की भूमि में किसी अन्य व्यक्ति को काश्त या कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। क्योंकि मूर्ति शाश्वत नाबालिग होती है। प्रार्थी तहसीलदार ब्यावर द्वारा ग्राम नयानगर के प्रश्नगत आराजी बाबत पारित विभिन्न न्यायालयो के निर्णयों का उल्लेख करते हुए विवादित भूमि बाबत पारित नामान्तरकरण संख्या 236, 245, 604, 804, 838 लगायत 845, एवं 848 2004, 3348, 3557 लगायत 3564 अवैध एवं एब इनिशियो वॉइड होकर शुन्य/निरस्तनीय बताते हुए प्रश्नगत भूमि, राजस्व रेकार्ड में मुताबिक मिसल बन्दोबस्त सवंत 1350 फसली में दर्ज माफी मन्दिर श्री हनुमान जी महाराज का अंकन करने हेतु उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर को भिजवाये जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये अप्रार्थीगण 1 से 10, 13 से 19 21/1 से 21/4, 22/1 से 22/4 24 से 27 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 28, आयुक्त, नगर परिषद ब्यावर की ओर से वकील सुरेन्द्र सेठी उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 29 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये। अप्रार्थी संख्या 11, 12, 20, 21/5, 23 के फौत होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई। अभि0 अप्रार्थीगण द्वारा फौत अप्रार्थीगण 12, 21/5, व 23 के नाम तर्क किये जाने तथा 11, 20 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत किया। जिन पर उपस्थित को सुना गया। उपस्थित राजकीय अभि0 द्वारा इन प्रार्थनो पत्रों बाबत कोई आपत्ति प्रकट नहीं नहीं की गई। लिहाजा प्रार्थना पत्र तथ्यों एवं व्यक्त कथनों के मध्यनजर फौत अप्रार्थीगण 12, 21/5, व 23 के नाम तर्क किये जाने का प्रार्थना पत्र तथा अप्रार्थीगण संख्या 11, 20 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जा0दी0, स्वीकार किया जाकर फौत अप्रार्थीगण संख्या 12, 21/5, व 23 के नाम तर्क किये गये तथा फौत अप्रार्थी संख्या 11 के स्थान पर उनके विधिक वारिसान 11/1 कपिल पुत्र शंकरलाल, 11/2 पंकज पुत्र शंकरलाल 11/3 मंजु पुत्री शंकरलाल को तथा अप्रार्थी संख्या 20 के स्थान पर रामकृष्ण खेतावत पुत्र यज्ञसेन खेतावत को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये गये। तत्पश्चात रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पर उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

उपस्थित पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए मुख्यतः निवेदन किया कि ग्राम नया नगर की मिसल बन्दोबस्त संवत 1350 फसली अनुसार खेवट संख्या 329 रकबा 04.18.00 माफी मन्दिर श्री हनुमानजी अहतमाम मुसम्मात भूरी बेवा शिवनारायण, श्री शिवदयाल वल्द श्री रामलाल, बहिस्से बराबर एक हिस्सा व श्री दुर्गाप्रसाद वल्द रामप्रताप व मुसम्मात दाखी बेवा सूरजमल बहिस्से बराबर एक हिस्सा दर्ज है, जिसकी खतौनी अनुसार साबिक खसरा नं0 135 रकबा 03.06.00, खसरा नं0 164 रकबा 00.07.10 एवं खसरा नं0 166 रकबा 1.03.00 सभी किस्म बारानी द्वितीय श्री शेरा वल्द जीवा कौम माली साकिन देह ताबेमरजी माफीदार मुदत एक साल दर्ज है। ग्राम नयानगर की खेवट फसली संवत 1360–61 के अनुसार

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

ाता संख्या 329 साबिक खसरा नं0 135 रकबा 03.06.00, खसरा नं0 164 रकबा 0.07.10 एवं खसरा नं0 166 रकबा 1.03.00 सभी किस्म बारानी द्वितीय माफी न्दिर श्री हनुमानजी अहतमाम रामस्वरूप वल्द शिवदयाल हिस्सा एक व श्री दुर्गाप्रसाद वल्द रामप्रताप व मुसम्मात दाखी बेवा सूरजमल बहिस्से बराबर एक हिस्सा दर्ज है। ग्राम नयानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2020–2023 के खाता संख्या 367 में साबिक खसरा नं0 खसरा नं0 164 रकबा 00.07.10 एवं खसरा नं0 166 रकबा 1.03.00 सभी किस्म बारानी द्वितीय एवं खाता संख्या 395 में खसरा नम्बर 135 रकबा 03.06.00 किस्म बारानी द्वितीय आई.एल.आर. टिप्पणी "मुताबिक आदेश श्रीमान् कलक्टर महोदय खाना संख्या 5 खाली रखा गया" दर्ज किया गया है। मिलान क्षैत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नं0 135 रकबा 03.06.00 के हाल खसरा नं 149 रकबा 03.04.00 व खसरा नं0 130 रकबा 0.02.00 दर्ज है, तथा खसरा नं0 164 रकबा 00.07.10 के हाल खसरा नं0 181 रकबा 00.07.10 तथा पुराने खसरा नं0 166 रकबा 01.3.00 के हाल खसरा नं0 183 रकबा 01.03.00 दर्ज है। जमाबन्दी संवत् 2042–45 के मुताबिक खाता संख्या 468 के हाल खसरा नं0 149, 181 एवं 183 के कॉलम संख्या 04 में "इन्द्राज खाली दर्ज है " एवं खसरा नं0 130 सिवाय चक खाता संख्या 01 में "मार्ग तथा पगडडिंया" दर्ज है। जमाबन्दी सवंत् 2044–47 के खाता संख्या 498 के हाल खसरा नं0 149, 181, 183 के कॉलम संख्या 04 में "इन्द्राज खाली"दर्ज होकर कैफियत के कॉलम में जरिये नामान्तरकरण संख्या 236 दिनांक 31.03.89 का अमल दरामद नोट अंकित करते हुए खाली इन्द्राज के स्थान पर खसरा नं0 181 व 183 पर अप्रार्थीगण यज्ञसैन व हरिशचन्द्र पिसरान रामप्रसाद कौम खेतावत साकिन देह दर्ज किया जो गलत है। क्योंकि प्रकरण संख्या 31/59 में पारित निर्णय दिनांक 16.12.1959 व जारी किया गया पट्टा एव इनिशियों वॉईड है। रामस्वरूप वल्द शिवदयाल व दुर्गाप्रसाद वल्द रामप्रताप व मुसम्मात दाखी बेवा सूरजमल ब्राहम्ण द्वारा की जा रही काश्त धारा–27 Ajmer abolation of Intermediataries And Land Reforms Act, 1955 के तहत उनका Personal Cultivation नहीं माना जा सकता, क्योंकि उक्त अधिनियम की धारा–2 (Viii) के तहत Minor की भूमि पर Minor का ही Personal cultivation माना जावेगा, भले ही Minor का उक्त भूमि पर Personal Supervision नहीं हों। चूंकि मूर्ति हनुमानजी शाश्वत अव्यस्क है। मूर्ति स्वयं भूमि पर काश्त नहीं कर सकती। अतः उसकी व्यवस्था पुजारी द्वारा की जाती है। पुजारी स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मुर्ति मन्दिर की भूमि पर की गई काश्त मन्दिर मूर्ति के लिये धारा–46 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अधीन उप–काश्तकार की हैसियत से की गई काश्त मानी जावेगी। ऐसे उप–काश्तकार को किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार हस्तान्तरित नहीं हो सकते है। इसलिए उक्त रामस्वरूप एवं अन्य के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 16.12.1959 एव इनिशियों वॉईड है। बहस जारी रखते हुए उन्होंने उन्होंने आगे निवेदन किया कि राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1959 के अनुसार हर एक मन्दिर पब्लिक ट्रस्ट है, जो Open for the Community at Large for Worship है। विधि अनुसार मूर्ति शाश्वत नाबालिग होती है। मन्दिर के पुजारी मूर्ति के संरक्षक होते है। पुजारी मूर्ति के हितो के विरूद्ध कोई कार्य करता है ,तो वह न्यास भंग की परिभाषा में आता है। धारा 46 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान पब्लिक पॉलिसी

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

नगर परिषद, ब्यावर

र आधारित है। धारा 27 Ajmer abolition of Intermediataries And Land Reforms Act, 1955 के तहत जारी पट्टा दिनांक 16.12.1959 अवैध, शून्य होकर एब इनिशियों वॉईड है। उक्त पट्टे के आधार पर बालकिशन पुत्र रामस्वरूप वगैरह द्वारा प्रश्नगत मंदिर मूर्ति भूमि को जीवराज सांखला को जरिये बेचाननामा दिनांक 30.6.1960 के बेचान कर दी गई। जीवराज सांखला द्वारा उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के समक्ष आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया जो अतिरिक्त जिला कलक्टर, अजमेर को स्थानान्तरित होने पर उनके निर्णय दिनांक 27.6.1964 के द्वारा खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 73/65 निर्णय दिनांक 5.11.1965 से स्वीकार की जाकर अतिरिक्त कलक्टर, अजमेर का प्रश्नगत आदेश 27.06.1964 निरस्त किया गया। इन आदेशो के विरूद्ध राजस्व मण्डल, अजमेर में प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर का निर्णय दिनांक 05.11.1965 निरस्त कर अतिरिक्त जिला कलक्टर, अजमेर के निर्णय दिनांक 27.6.1964 को रेस्टोर किया गया। अप्रार्थीगण यज्ञसेन एवं हरिशचन्द्र पिसरान रामप्रसाद खेतावत के पक्ष में जो नामान्तकरण संख्या 236 स्वीकृत किया गया वह विधि विरूद्ध रूप से स्वीकृत किया गया। क्योंकि यज्ञसेन एवं हरिशचन्द्र द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के समक्ष राजस्व वाद संख्या 17/64 पेश किया जो निर्णय दिनांक 17.4.1973 से स्वीकार कर वादीगण को खसरा नं0 164 एवं 166 का खातेदार घोषित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत अपील में पारित निर्णय दिनांक 15.9.1980 से उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के आक्षेपित आदेश की पुष्टि की गई। उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के उक्त आक्षेपित निर्णय दिनांक 17.4.1973 एवं श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के निर्णय दिनांक 25.9.1981 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत द्वितीय अपील 32/82 में पारित निर्णय दिनांक 21.4.1993 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के निर्णय दिनांक 17.4.1973 एवं श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 25.09.1981 को निरस्त करते हुए यज्ञसेन एवं हरिशचन्द्र का दावा भी निरस्त किया गया। इस निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रस्तुत नजरसानी संख्या 37/93 निर्णय दिनांक 09.10.1996 के द्वारा निरस्त की गई। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण यज्ञसेन एवं हरीशचन्द्र का दावा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25.09.1981 के द्वारा निरस्त किया गया तो नामान्तरकरण संख्या 236 स्वतः ही निरस्त होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज इन्द्राजात भी स्वतः ही निरस्त हो गये। उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 64/87 अन्तर्गत धारा 136 राज0भू0 राजस्व अधिनियम में क्षेत्राधिकारिता से बाहर जाकर खातेदारी अधिकार दिये जाने बाबत पारित आदेश दिनांक 09.5.1988 की पालना में नामान्तकरण संख्या 245 दिनांक 27.4.1989 स्वीकृत कर उक्त खाली ईन्द्राज के स्थान पर खसरा नं0 149 पर "महेन्द्रसिंह, शंकरलाल पि बेगराज, बिरदी देवी बेवा बेगराज जाति अहीर साकिन निवासी मोतीपुरा बाडिया"दर्ज किया गया तथा खसरा नं0 130 सिवाय चक खाता संख्या 01 में "मार्ग तथा पगडंडीया" दर्ज है। उक्त महेन्द्र सिंह वगैरह के पूर्वज बेगराज का नाम प्रथम बार जमाबन्दी संवत 2020–23 के खाता संख्या 395 के खसरा नं0 135 रकबा 03–06–00 बीघा में दर्ज किया गया जो कि बिना अधिकारिता के तथा बिना

जिला कलक्टर
अजमेर

किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के दर्ज किया गया। मंदिर मूर्ति की भूमि में किसी अन्य व्यक्ति को काश्त या कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। क्योंकि मूर्ति शाश्वत नाबालिग होती है। लिहाजा ग्राम नयानगर के प्रश्नगत आराजी बाबत पारित विभिन्न न्यायालयो के निर्णयों के परिपेक्ष्य में विवादित भूमि बाबत पारित नामान्तरकरण संख्या 236, 245, 604, 804, 838 लगायत 845, एवं 848 2004, 3348, 3557 लगायत 3564 अवैध एवं एब इनिशियो वॉइड होकर शुन्य/निरस्तनीय होने से निरस्त कर भूमि, राजस्व रेकार्ड में मुताबिक मिसल बन्दोबस्त सवत् 1350 फसली में दर्ज उक्त माफी मन्दिर श्री हनुमान जी महाराज के अंकन हेतु रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार कर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भिजवाये जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अपने कथनों की पुष्टि में राजकीय अभिभाषक द्वारा RRD 2000 page 229-231, RRD 1996 page 231, RRD 1973 page 702, RRT 2006(1) page 467, WLC 2008 (4) page 429, RRD 1997 page 158, RBJ (5)1998 page 384-391 के उद्धरण उद्धत करवाये। रेस्पोडेन्ट संख्या 28 आयुक्त नगर परिषद ब्यावर के उपस्थित अभिभाषक द्वारा मुख्यतः निवेदन किया कि विवादित भूमि बाबत नगर परिषद ब्यावर द्वारा पट्टे जारी किये जाने बाबत की गई कार्यवाही विधि सम्मत है।

जवाब में उपस्थित अभिभाषक अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि तहसीलदार ब्यावर द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया जिसका कोई विधिक अधिकार उन्हें नहीं है, एवं ना ही इस न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में निहित है। प्रार्थी (तहसीलदार ब्यावर) द्वारा प्रश्नगत आराजी बाबत राजस्व अभिलेख में स्वयं द्वारा पारित नामान्तरकरण के विरूद्ध एक माह की अवधि में ही यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो तत्कालीन तहसीलदार ब्यावर की बदनियती को दर्शित करता है। प्रार्थी द्वारा मिसल बन्दोबस्त सवंत् 1350 फसली एवं 1360–61 फसली के राजस्व अभिलेख का उल्लेख करते हुए रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है जबकि उक्त अवधि का राजस्व अभिलेख वर्तमान में उपलब्ध ही नहीं है। जानबुझकर राजस्व अभिलेख के विपरीत जाकर सन् 1350 फसली की खेवट खसरा संख्या 165 रकबा 01 बिस्वा 10 बिस्वांसी का उल्लेख कर "माफी मन्दिर हनुमानजी व अहतमाम " के अंकन के गलत तथ्य अंकित किये गये है। तत्कालीन राजस्व कर्मियों द्वारा गलत नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के कारण तत्कालीन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा प्रकरण संख्या 16/62 में इन्द्राज खाली रखे जाने का आदेश दिनांक 7.01.1963 को पारित किया गया। Ajmer abolition of Intermediataries And Land Reforms Act की धारा 66 के अनुसार इस अधिनियम के तहत प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध व्यथित व्यक्ति द्वारा आदेश दिनांक से 30 दिवस की अवधि में अपील किये जाने का प्रावधान है। उक्त अधिनियम की धारा 78 के तहत पारित आदेश को किसी भी राजस्व या दिवानी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके बावजूद प्रार्थी तहसीलदार ब्यावर द्वारा न्यायालय हाजा मे यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्राधिकारिता के बाहर होने से पोषणीय नहीं होने से सरसरी तौर पर काबिले खारिज है। बहस जारी रखते हुए अभिभाषक अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि पूर्व में इसी न्यायालय के समक्ष श्री मखनलाल अग्रवाल निवासी ब्यावर द्वारा प्रश्नगत भूमियो

न्यायालय जिला कलक्टर

जिला कलक्टर
अजमेर

ो मंदिर श्री हनुमानजी की माफी भूमियॉ होना बताते हुए श्री रामस्वरूप व अन्य के हक में Ajmer abolition of Intermediataries And Land Reforms Act के तहत जारी पट्टा को निरस्त करने हेतु प्रकरण संख्या 12/1965 अजनाम मखनलाल बनाम बालकिशन व अन्य प्रस्तुत किया जो निर्णय दिनांक 20.1.1969 के द्वारा निरस्त फरमाते हुए श्री रामस्वरूप वगैरह के हक में जारी पट्टे को पूर्णतया वैध माना गया। न्यायालय हाजा एवं राजस्व मण्डल द्वारा पचास वर्ष पूर्व ही पट्टे के सम्बन्ध में अपना निष्कर्ष प्रदान कर दिया गया तो अब तहसीलदार ब्यावर द्वारा पुनः इसी बिन्दु को जरिये रेफरेन्स पुर्नविलोकन हेतु न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करना विधि सम्मत नहीं है। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा बहस जारी रखते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी तहसीलदार ब्यावर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स में Ajmer abolition of Intermediataries And Land Reforms Act की धारा 2 (Viii) का गलत विवेचन किया गया है। इस अधिनियम की धारा 2 (viii) के तहत माफीदार भी Intermediary की परिभाषा में सम्मिलित है व इसी अधिनियम की धारा 2(v) के अनुसार माफी भूमि Estate की परिभाषा में सम्मिलित है। इस अधिनियम की धारा 4 के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार दिनांक 01.08.1955 को intermediary की परिभाषा में सम्मिलित है व इसी अधिनियम की धारा 4 के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार intermediary की सभी भूमियॉ राज्य सरकार में निहित हो गई राज्य सरकार द्वारा इसी अधिनियम के तहत श्री रामस्वरूप के हक में आवंटन कर दिया एवं पट्टा जारी कर दिया। माफी भूमि एवं मूर्ति के संबध में राजस्व मण्डल एवं राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों के जरिये स्थिति स्पष्ट की गई है। इस बाबत राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पारित निर्णय RLR 1990 (I) के पेज संख्या 161 पर प्रकाशित है, जो मार्गदर्शन योग्य है। तहसीलदार ब्यावर द्वारा वैध एवं प्रभावती अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 60 वर्ष पूर्व जारी पट्टे व इस पट्टे के जरिये प्रदत्त अधिकारों को प्रत्याहत व समाप्त करने के अवैध प्रयास के अनुसरण में बिना अधिकारिता के आधारहीन व अस्पष्ट व भ्रामक तथ्यों पर आधारित प्रश्नगत रेफरेन्स विधिक प्रावधानों की गलत विवेचना करते हुए प्रस्तुत किया गया है। AIR 1981(sc) 798 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक मंदिर सार्वजनिक ट्रस्ट नहीं है। प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रत्येक मन्दिर पब्लिक ट्रस्ट बताकर निजी एवं क्षुद्र स्वार्थो की पूर्ति हेतु विधिक प्रावधानों का गलत विवेचन किया गया है। मूर्ति हनुमानजी शाश्वत अव्यस्क है, गलत ढंग से वर्णित किया है। रेफरेन्स में वर्णित भूमियों बाबत Ajmer abolition of Intermediataries And Land Reforms Act के तहत सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा श्री रामस्वरूप वगैरह के हक मे जारी पट्टे द्वारा प्रदत्त हक अधिकारों के बाबत विभिन्न राजस्व न्यायालयों में भिन्न-भिन्न प्रकरण संस्थित हुये। अतंतः राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा द्वितीय अपील संख्या 3/1982 में पारित निर्णय दिनांक 21.4.1993 के जरिये यह अन्तिम निष्कर्ष प्रदान किया कि Ajmer abolition of Intermediataries And Land Reforms Act के तहत पारित आदेश व उसके अनुसरण में जारी पट्टे को किसी भी प्रकार से चुनौती नहीं दी जा सकती एवं सक्षम अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.12.1959 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा को पूर्णतया वैध मानते हुए राजस्व अभिलेख

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

नगर परिषद, ब्यावर

श्री रामस्वरूप वगैरह एवं उनके पश्चातवर्ती हस्तान्तरिती श्री जीवराज सांखला व उनके वारिसान श्री मनमोहनराय सांखला वगैरह के नाम हुए नामान्तरणकरणों को पूर्णतया वैध करार दिया गया एवं इन भूमियों को श्री मनमोहनराय सांखला वगैरह के हक अधिकार की भूमियॉ ही होना माना गया। मंन्दिर मूर्ति श्री हनुमानजी की ओर से उनके नेक्सट फ्रेन्ड श्री गजेन्द्र कुमार भारद्वाज द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद 109/1990 को उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा अपने आदेश दिनांक 20.8.1994 के जरिये निरस्त फरमा दिया गया एवं इस आदेश में इन खसरा नम्बरान की भूमियों को हनुमान मंदिर की भूमियॉ होना नहीं माना गया। तहसीलदार ब्यावर द्वारा प्रश्नगत भूमियों बाबत विभिन्न नामान्तरकरण स्वीकृत किये गये है जिनका उल्लेख अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में किया गया है। इन नामान्तरकरणों को अब 30 वर्ष की अवधि पश्चात अवैध बताकर जरिये रेफरेन्स चुनौती दिया जाना कतई न्यायसंगत नहीं है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रश्नगत भूमि को गैर कृषि उपयोग हेतु संपरिवर्तित किया जा चुका है। गत 25 वर्षो से भी अधिक अवधि से इस भूमि पर विभिन्न होटलें एवं अन्य व्यवसायिक सम्पतियॉ निर्मित हो चुकी है। चूंकि वर्तमान मं यह भूमि कृषि भूमि नहीं रह गई है। इस आधार पर भी प्रस्तुत रेफरेन्स न्यायालय हाजा की क्षैत्राधिकारिता से बाधित होने कारण पोषणीय नहीं होने से काबिले निरस्तनीय है। अतः प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र राजस्व अभिलेख एवं प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रतिकूल व अस्पष्ट व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से सरसरी तौर पर निरस्त योग्य होने से इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावें। अपने कथनों की पुष्टि में RBJ (22)2015 page 486-513, RRD 1985 page 621-625, RRD 1992 page 171-173, RBJ (26)2019 page 293-305, RRT 2017(1) page 317, RRT 2016(1) page 155159, RBJ (6)1999 page 199-201, RBJ (8)2001 page 585-587 के उद्धरण पेश किये।

हमने उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस एवं रिकार्ड पत्रावली का अवलोकन मनन किया। अवलोकन अनुसार प्रश्नगत आराजी, मिसल बन्दोबस्त संवत 1350 फसली अनुसार खेवट संख्या 329 रकबा 04.18.00 माफी मन्दिर श्री हनुमानजी अहतमाम मुसम्मात भूरी बेवा शिवनारायण, श्री शिवदयाल वल्द श्री रामलाल, बहिस्से बराबर एक हिस्सा व श्री दुर्गाप्रसाद वल्द रामप्रताप व मुसम्मात दाखी बेवा सूरजमल बहिस्से बराबर एक हिस्सा दर्ज है तथा खेवट फसली संवत् 1360–61 के अनुसार खाता संख्या 329 साबिक खसरा नं0 135 रकबा 03.06.00, खसरा नं0 164 रकबा 00.07.10 एवं खसरा नं0 166 रकबा 1.03.00 सभी किस्म बारानी द्वितीय माफी मन्दिर श्री हनुमानजी अहतमाम रामस्वरूप वल्द शिवदयाल हिस्सा एक व श्री दुर्गाप्रसाद वल्द रामप्रताप व मुसम्मात दाखी बेवा सूरजमल बहिस्से बराबर एक हिस्सा दर्ज है। तत्पश्चात जमाबन्दी सम्वत् 2020–2023 जमाबन्दी संवत् 2042–45 जमाबन्दी सवंत् 2044–47 के कॉलम संख्या 04 में "इन्द्राज खाली" दर्ज है। चूंकि मूर्ति हनुमानजी शाश्वत अव्यस्क है। मूर्ति स्वयं भूमि पर काश्त नहीं कर सकती। अतः उसकी व्यवस्था पुजारी द्वारा की जाती है। व पुजारी स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मुर्ति मन्दिर की खुदकाश्त की भूमि पर की गई काश्त मंन्दिर मूर्ति के लिये धारा–46 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अधीन उप–काश्तकार की हैसियत से की गई काश्त मानी जावेगी। ऐसे उप–काश्तकार को किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार हस्तान्तरित नहीं हो सकते है। विद्वान पैरोकार सरकार द्वारा

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

ुत तर्क एवं कानुनी नजीरें RRD 1973 page 702-704, RRT 2006(1) page 7-470, RRD 2000 page 229-231, RBJ (5)1998 page 384-391 के RRD 997 page 158-163 प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होतें है। अप्रार्थीगण की ओर से स्तुत उद्वरण मन्दिर भूमि के परिपेक्ष्य में उनकी मदद नहीं करते है। राजस्थान ब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1959 के अनुसार हर एक मन्दिर पब्लिक ट्रस्ट है, जो Open for the Community at Large for Worship है। विधि अनुसार मूर्ति शाश्वत नाबालिग होती है। धारा 5(25) के अन्तर्गत भूमि मूर्ति की खुदकाश्त मानी जायेगी। मंदिर भूमि के खातेदारी अधिकार उसके कृषक को हस्तान्तरित नहीं हो सकतें है। कृषक के नाम खातेदारी इन्द्राज किया जाना पूर्णतया अवैधानिक है। उक्त अवैधानिक इन्द्राज के पश्चात किया गये विक्रय एवं उनके आधार पर किये गये इन्द्राज को भी विधि सम्मत नहीं ठहराया जा सकता। फलस्वरूप प्रस्तुत रेफरेन्स स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार ब्यावर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत मंदिर भूमि बाबत पारित नामान्तरकरण 236 दिनांक 31.3.1989 एवं पश्चातवर्ती समस्त नामान्तरकरणों को अवैध एवं एब इनिशियों वॉईड करार दिया जाने एवं ग्राम नयानगर के प्रश्नगत आराजी को राजस्व रेकार्ड में मुताबिक मिसल बन्दोबस्त सवंत् 1350 फसली में दर्ज उक्त माफी मन्दिर श्री हनुमान जी महाराज के इन्द्राज अनुसार वर्तमान रेकार्ड में भी उक्त माफी मन्दिर मूर्ति श्री हनुमानजी महाराज का अंकन करने हेतु उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रस्तुत किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 22.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर,
अजमेर